-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ई-रिक्शा/ऑटो आदि में टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली अन्तरजनपदीय 04 अभियुक्ताओं को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्ताओं के कब्जे से 48.5 हजार रुपए बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा/ऑटो आदि में टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली 04 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 09.08.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अतर्रा चुंगी की रहने वाली अनुसइया देवी ने कोतवाली नगर पर सूचना दी कि दिनांक 15.07.2025 को ई-रिक्शा से बिजली का बिल जमा करने पीलीकोठी पावर हाउस जा रही थी उसी दौरान कुछ अज्ञात महिलाए भी ई-रिक्शा पर सवार हुई तथा उनका पैर कुचलते हुए ध्यान भटकाकर गले में पड़े चैन निकाल ली गई। जिसके सम्बन्ध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए सीसीटीवी कैमरो आदि की मदद से महिलाओं की पहचान करते हुए आज दिनांक 10.08.2025 को नवाब टैंक तिराहे के पास से गिरफ्तार कर किया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 48520 रुपए नगद बरामद हुए है। बरामद रुपये के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्ताओं ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वे सभी नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली है तथा बांदा व आसपास के जनपदों में घूम-घूमकर ऑटो व ई-रिक्शा आदि में बैठती है एवं उसमें सवार महिलाओं के पैर कुचलकर/दबाकर तथा बातचीत में उलझाकर गले आदि में पहने उनके आभूषणों आदि की चोरी कर लेती है तथा उसको आधे-पौने दामों में बेच देती है। कुछ दिनों पूर्व उनके द्वारा बाबूलाल चौराहे से अतर्रा चुंगी के बीच ऑटो में तथा कुछ महिने पूर्व अतर्रा चुंगी के पास ई-रिक्शा में बैठी महिला के आभूषण चोरी कर लिया गया था और उसी आभूषण की बिक्री के ये 48 हजार 520 रुपये है। पुलिस द्वारा चारों महिलाओं/अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और कहां-कहां और किन-किन जनपदों में टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

बरामदगी-

- 48 हजार 520 रुपए नगद (टप्पेबाजी/चोरी के आभूषण की बिक्री से प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. सविता शेडे पत्नी सुनील शेडे निवासी सत्रापुर कन्हान थाना कन्हान जनपद नागपुर (महाराष्ट्र)।
2. अरुणा पत्नी प्रभुदास बिचुरकर निवासी सत्रापुर कन्हान थाना कन्हान जनपद नागपुर (महाराष्ट्र)।
3. संगीता पत्नी जसपाल पात्रे निवासी सत्रापुर कन्हान थाना कन्हान जनपद नागपुर (महाराष्ट्र)।
4. निकिता पात्रे पत्नी प्रकाश पात्रे निवासी सत्रापुर कन्हान थाना कन्हान जनपद नागपुर (महाराष्ट्र)।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 447/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 660/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी अलीगंज
2. श्री दिलीप कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी मेडिकल कालेज
3. म0उ0नि0 आकांक्षा चौकी प्रभारी संकट मोचन
4. उ0नि0 श्री सुधीर चौरसिया
5. हे0कां0 राकेश कुमार कुशवाहा
6. म0हे0कां0 नीलम देवी
7. कां0 महेन्द्र कुमार
8. कां0 सौरभ शास्त्री
9. म0कां0 बबली
10. म0कां0 शागुफ्ता